



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1941 (श10)

(सं0 पटना 972) पटना, वृहस्पतिवार, 22 अगस्त 2019

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
21 अगस्त 2019

सं० 4/वि1-10-05/2016 गृ0आ0-6848—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 [बिहार अधिनियम 6, 2016] की धारा 8(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 अनुसूची के क्रम संख्या 18 में अंकित शब्द 'वनपाल' को 'वनों के क्षेत्र पदाधिकारी' तथा शब्द 'पर्यावरण एवं वन विभाग' को 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग' द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं।

2. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 6221 दिनांक 19.07.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

21 अगस्त 2019

सं० 4/वि1-10-05/2016 गृ0आ0-6849 अधिसूचना संख्या 6848 दिनांक 21 अगस्त 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

The 21st August 2019

No. 4/V1-10-05/2016. H.P-6848—In exercise of the powers conferred under Article 8(2) of the Bihar Police Sub-ordinate Service Commission Act, 2016 (Bihar Act 6, 2016) the Governor of Bihar is hereby pleased to substitute the word 'Forester' with 'Range Officer of Forests' and the word 'Environment and Forest Department' with 'Environment, Forest and Climate Change Department' on serial no. 18 of Schedule of Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016.

By the order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA,
Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 972-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>